



2026:AHC: 19707-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 47/2026

अमर सिंह

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अंसार अहमद
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

यह बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या 1, इटावा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 67 वर्ष 2021, अंतर्गत धारा 498ए, 323/34, 313/34, 504 और 506 भा.द.सं. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 थाना सिविल लाइन्स, जनपद इटावा से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या - 1105 वर्ष 2022 में पारित दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.01.2026 के विरुद्ध दायर एक अपील है।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सुबोध कुमार उर्फ राहुल का विवाह ओमवती उर्फ संतोषी के साथ दिनांक 15.02.2020 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। अपीलार्थी ओमवती, अर्थात् वधू का पिता है। वर और वधू के ससुराल वाले विवाह में उन्हें दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे वधू को परेशान करते थे और उसके साथ क्रूरता करते थे। वधू अपने मायके में रह रही थी और पाँच माह की गर्भवती थी, जब दिनांक 18.01.2021 को सुबोध कुमार उर्फ राहुल, सर्वेश कुमार, मुन्ना लाल, अभिषेक कुमार और सन्नी उर्फ संजय के साथ अपीलार्थी के घर गया और ओमवती को गाली देने लगा। सुबोध कुमार उर्फ राहुल और सर्वेश ने प्रथम सूचनादाता की पुत्री, अर्थात् ओमवती के पेट में लात भी मारी, जिसके कारण भ्रूण का गर्भपात हो गया। जब अपीलार्थी की पुत्री मदद के लिए चिल्लाई, तो अपीलार्थी और उसका पुत्र मौके पर आ गए, जिस पर हमलावर अपीलार्थी की पुत्री को धमकी देकर भाग गए। पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 21.01.2021 को एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और थाना सिविल लाइन्स, जनपद इटावा में धारा 498ए, 323, 313, 504 और 506 भा.द.सं. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 67 वर्ष 2021 के रूप में पंजीकृत किया गया।

अपीलार्थी की पुत्री का डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, इटावा में परीक्षण भी कराया गया था। चोट रिपोर्ट में पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में 1.5 सेमी x 1.0 सेमी का नीलगू निशान, बाएं हाथ पर 1.5 सेमी x 1.0 सेमी का खरोंच, दाहिने स्कैपुला पर 1.0 सेमी x 1.0 सेमी का गहरा लाल घाव का निशान और स्कैपुला से 6 सेमी नीचे 1.5 सेमी x 1.0 सेमी का गहरा लाल नीलगू निशान दर्ज किया गया। चोट रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि पीड़ित, अर्थात् अपीलार्थी की पुत्री को हमले के बाद योनि से रक्तस्राव हुआ था। अपीलार्थी की पुत्री का अल्ट्रासाउंड परीक्षण और अन्य रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी किए गए, जिसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हमले और उसके परिणामस्वरूप लगी चोट के कारण पीड़ित का गर्भपात हो गया था।

विवेचना के बाद, पुलिस ने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया और वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारण हेतु सुपुर्द किया गया और परिणामस्वरूप, धारा 498ए, 323/34, 313/34, 504 और 506 भा.द.सं. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या - 1105 वर्ष 2022 पंजीकृत किया गया।

विचारण में, वधू/पीड़िता के पिता को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में और पीड़ित के भाई को पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में परीक्षित किया गया। स्वयं पीड़िता को पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में परीक्षित किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों को पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में परीक्षित किया गया। पी.डब्ल्यू.-7 से पी.डब्ल्यू.-9 पुलिस साक्षी थे और वाद के विवेचना अधिकारी भी थे। पीड़िता की चोट रिपोर्ट अभियोजन द्वारा दाखिल की गई और विचारण न्यायालय में प्रदर्श क-2 और क-3 के रूप में चिह्नित की गई तथा फिल्म और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी अभियोजन द्वारा दाखिल की गई और विचारण न्यायालय में प्रदर्श क-4 और क-5 के रूप में चिह्नित की गई। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य, जिनमें चोट रिपोर्ट और अभियोजन साक्षीगण की मौखिक गवाही शामिल थी, पर विचार करने के बाद अभियुक्त सुबोध उर्फ राहुल को धारा 498ए, 313/34, 323/34, 506 भा.द.सं. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया, लेकिन उसे धारा 504 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय ने सर्वेश कुमार को भी धारा 313/34, 323/34, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया, लेकिन उसे धारा 498ए, 504 अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.01.2026 द्वारा मुन्ना लाल, अभिषेक कुमार और सन्नी उर्फ संजय को भी धारा 498ए, 313/34, 323/34, 504 और 506 भा.द.सं. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वर्तमान अपील विचारण न्यायालय के दिनांक 05.01.2026 के उस निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा मुन्ना लाल, अभिषेक कुमार और सन्नी उर्फ संजय को दोषमुक्त किया गया है, जो वर्तमान अपील में विपक्षी संख्या 2 से 4 हैं।

आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि सर्वेश कुमार राहुल का मामा है। मुन्ना लाल, अर्थात् वर्तमान अपील में विपक्षी संख्या 2, भी राहुल का मामा है। अभिषेक कुमार और सन्नी उर्फ संजय राहुल के ममेरे भाई हैं।

विचारण न्यायालय ने विपक्षीगण को धारा 313/34 और 323/34 भा.द.सं. के आरोपों से इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि अपने बयान में, पी.डब्ल्यू.-3, अर्थात् पीड़ित ने अभिकथन किया था कि सर्वेश और सुबोध उर्फ राहुल ने उसके पेट में लात मारी थी, जिसके कारण पीड़िता का गर्भपात हो गया था। साक्षी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध पीड़िता के साथ मारपीट करने का कोई अभिकथन नहीं किया गया था। अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी विपक्षीगण द्वारा किसी मारपीट का अभिकथन नहीं किया। अन्य साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं थे। साक्षी ने यह सिद्ध किया है कि विपक्षीगण सर्वेश और सुबोध उर्फ राहुल के साथ प्रथम सूचनादाता और पीड़िता के घर गए थे, लेकिन उनके साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करते हैं कि विपक्षीगण ने पीड़िता के साथ मारपीट किया था। परिस्थितियों में, हमें विपक्षीगण को धारा 313/34, 323/34 और धारा 504 तथा 506 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त करने वाले विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिली है।

जहाँ तक धारा 498ए भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध का संबंध है, विचारण न्यायालय ने अंकित किया कि विपक्षीगण और सुबोध उर्फ राहुल अलग रहते थे और अन्य अभियुक्त पीड़िता के साथ नहीं रह रहे थे। अपने बयान में पीड़िता ने ऐसी किसी विशिष्ट घटना का वर्णन भी नहीं किया है, जहाँ विपक्षीगण ने एक साथ या अलग-अलग, दहेज के लिए पीड़िता के साथ क्रूरता किया हो। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि पीड़िता के पति को मिलने वाले दहेज से विपक्षीगण को कोई लाभ नहीं पहुँचा होता और ऐसा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई साक्ष्य नहीं था कि विपक्षीगण ने कभी पीड़िता के साथ मारपीट किया हो या उसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता का शिकार बनाया हो। विचारण न्यायालय ने विपक्षीगण को संलिप्त करने के प्रयासों में पीड़िता के साक्ष्य में कुछ सुधारों पर भी ध्यान दिया है।

उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन विपक्षीगण के विरुद्ध धारा 498ए भा.द.सं. और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है। विचारण न्यायालय को साक्षी के हाव-भाव देखने का अवसर मिला था और हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिली है। अपील में उठाए गए आधार हमें साक्ष्य का पुनः परीक्षण करने और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने के लिए राजी नहीं करते हैं।

अपील में गुण-दोष का अभाव है और इसे विपक्षीगण को नोटिस जारी किए बिना संक्षिप्त रूप से **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

29 जनवरी, 2026

विपाशा